न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, मुख्यालय गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी– सुदर्शन सिंह तोमर

क्र0सं0	पूर्व पत्रावली सं0	दर्ज दिनांक	उनवान	ऑनलाईन नं0	निर्णय दिनांक	कुल पृष्ठ
1	54/2024	18.12.2024	मलवा बनाम भगवती व अन्य	2024/106	25.02.2026	1 लगायत 4

1 मलवा उर्फ मलुवा पुत्र सोनपाल जाति जाटव निवासी माँहचा तहसील बजीरपुर। –अपीलार्थी–

बनाम

1 भगवती पुत्र श्रीफल जाति मीना निवासी माँहचा तहसील बजीरपुर।
2 छुट्टन पुत्र श्रीफल जाति मीना निवासी माँहचा तहसील बजीरपुर।
3 जन्मेश पुत्र श्रीफल जाति मीना निवासी माँहचा तहसील बजीरपुर।
4 रूपसिंह पुत्र श्रीफल जाति मीना निवासी माँहचा तहसील बजीरपुर। –रेस्पोडेन्टान–

उपस्थित–
अपीलान्ट की ओर से– विद्वान अभिभाषक श्री सतीश कुमार शर्मा
रेस्पोडेन्ट की ओर से :–विद्वान अभिभाषक श्री गोपाल लाल शर्मा

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम,1956

निर्णय

यह अपील न्यायालय तहसील वजीरपुर के मु0नं0 05/2023 उनवान मलुवा बनाम भगवती प्रार्थना पत्र धारा 183 बी आर0टी0एक्ट में पारित आदेश दिनांक 29.08.2024 से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत न्यायालय में पेश की गयी। तहसीलदार वजीरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.08.2024 द्वारा अप्रार्थीगण का सायल की भूमि पर कब्जा नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र अर्न्तगत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 बी खारिज किया गया है। उक्त आदेश से अप्रसन्न होकर अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी जरिये सम्मन की गई। रेस्पोडेन्ट जरिये अधिवक्ता उपस्थित होने पर तथा अदालत मातहत की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्षों की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने दौराने बहस अपील में वर्णित तथ्यों की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया है कि अपीलान्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र 183बी आर०टी०एक्ट के तहत अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बजीरपुर के यहां प्रस्तुत किया। जिसमें अपीलान्ट की खातेदारी की भूमि ख०नं० 1201 रकबा 0.38 हेक्टर, 1205 रकबा 0.30 हे[illegible] रकबा 0.38 हेक्टर ग्राम मौहचा में स्थित हैं अपीलान्ट भूमि को अधबटाई [illegible] करवाते हैं। प्रार्थी अपीलान्ट बाहर रहकर मजदूरी का कार्य करता हैं तथा समय समय पर फ[illegible] में से अपना आधा हिस्सा रेस्पोडेन्टान से लगातार लेता चला आरहा हैं। दि0 15-10-23 को जब अपीलान्ट अधबटाई की फसल के हिसाब के लिये रेस्पोडेन्टान से मिला तो वे नाराज हो गये तथा गाली गलौच कर हिसाब करने व जमीन से

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.10 17:09:17 IST
Reason: Self Attested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

कब्जा हटाने से मना कर दिया। तथा धमकी देकर कहा कि हम तुम्हें खेती नहीं करने देगें और नही भूमि से कब्जा छोडेगें। अपीलान्ट एस०सी० जाति का व्यक्ति हैं तथा रेस्पोडेन्ट एस०टी० जाति के व्यक्ति हैं। जिन्हें कानून की कोई परवाह नही हैं। अपीलान्ट के उक्त मुकदमें पर रेस्पोडेन्टान मय वकील उपस्थित हुये तथा अपना जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि मौके पर रेस्पोडेन्ट का कोई कब्जा नही हैं न ही कभी रेस्पोडेन्टान ने उक्त विवादित भूमि को काश्त किया। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट की कभी कोई मुलाकात तक नही हुयी। इसलिये प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों पर प्रस्तुत किया हैं जो निरस्त फरमाया जावें। अपीलान्ट द्वारा अपने साक्ष्य सबूत प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त पत्रावली में बहस होने के बाद पटवारी हल्का से रिपोर्ट मंगवायी गयी। जिसमें पटवारी हल्का द्वारा गलत रूप से खसरा नं0 1201 को पडत बताया गया एंव ख0नं0 1205 एंव 1213 पर बाजरे की फसल होना अंकित किया। उक्त फसल को प्रेमसिंह, मुकेश, रामदयाल, विजेन्द्र, हिम्मतसिंह पुत्रान रामनिवास जाति मीना निवासी मौहचा द्वारा काश्त करना बताया। तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र को नजरअन्दाज करते हुये केवल मात्र पटवारी की गलत रिपोर्ट के आधार पर उक्त प्रकरण को निरस्त कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायाल द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध एंव न्यायिक सिद्धान्तो के विपरित होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य हैं।अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एंव अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की अनदेखी करते हुये उक्त विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया हैं जो निरस्त होने योग्य हैं। अपीलान्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में स्पष्ट रूप से रेस्पोडेन्टान का कब्जा होना तथा रेस्पोडेन्टान को भूमि अधबटाई पर काश्त हेतु बताना अंकित किया हैं परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब एंव पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट को आधार बनाकर अपीलाधीन निर्णय गलत रूप से पारित किया हैं क्योकि रेस्पोडेन्टान ने अपने जवाब में केवल मात्र गलत रूप से ये तथ्य अंकित किये हैं कि विवादित भूमि पर रेस्पोडेन्ट का कब्जा नही हैं। यदि वास्तव में रेस्पोडेन्टान का उक्त भूमि का कब्जा नहीं होता और किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा होता तो वे स्पष्ट रूप से अपने जवाब में अंकित करते कि उक्त विवादित भूमि पर रेस्पोडेन्टान का कब्जा नही होकर फला फला व्यक्ति का कब्जाकाश्त हैं। जबकि वास्तविकता यह हैं कि रेस्पोडेन्टान ने पटवारी हल्का के साथ मिलकर गलत रिपोर्ट बनवाकर अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करवायी तथा उक्त रिपोर्ट को निर्णय का मुख्य आधार मानकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किया हैं जो विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त होने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में केवल मात्र यह अंकित किया हैं कि खसरा नं0 1201, 1205, 1213 की खातेदारी अपीलान्ट के नाम दर्ज हैं तथा पटवारी रिपोर्ट के अनुसार खसरा नं0 1201 पर किसी का कब्जा नहीं हैं। ख0नं0 1205 व 1213 पर प्रेमसिंह, मुकेश, रामदयाल, विजेन्द्र, हिम्मतसिंह पुत्रान रामनिवास मीना का कब्जा काश्त हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एंव साक्ष्य गवाहान पर कोई ध्यान नहीं दिया अर्थात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायिक सिद्धान्तो के अवहेलना करके निर्णय पारित किया हैं जो निरस्त होने योग्य हैं, साथ ही अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बजीरपुर द्वारा मु0नं0 05/23 में पारित निर्णय दिनांक 23-8-2024 निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.10 17:09:17 IST
Reason: Self Attested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी
मु0नं0 54/24 उनवान मलवा बनाम भगवती

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपीलार्थी की बहस का खण्डन करते हुए दौराने बहस निवेदन किया है कि अपीलार्थी द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर उक्त अपील प्रस्तुत की गई है। उक्त वाद आराजीयात पर रेस्पोडेन्टान का कोई कब्जा /अतिकमण नहीं है। किसी दिगर व्यक्ति का कब्जा/अतिकमण है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय विधि अनुरूप ही पारित किया है। जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है, साथ ही अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपील अस्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बजीरपुर द्वारा मु0नं0 05/23 में पारित निर्णय दिनांक 29–8–2024 यथावत रखने हेतु निवेदन किया है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी पक्ष द्वारा ग्राम मोहचा में स्थित अपनी खातेदारी भूमि खं0नं0 1201 रकबा 0.38 है0, खं0नं0 1205 रकबा 0.30है0, खं0नं0 1213 रकबा 0.38 है0 भूमि पर रेस्पोडेन्टान का कब्जा होना अंकित किया है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 29.07.2024 के अनुसार खं0नं0 1201 मौके पर पड़त किसी का कब्जा नहीं है व खं0नं0 1205 व 1213 पर प्रेमसिंह, मुकेश, रामदयाल, विजेन्द्र, हिम्मत सिंह पुत्रान रामनिवास जाति मीना निवासी मोहचा का कब्जा काश्त होना अंकित किया है।

Rajasthan Tenancy Act 1955, Section 183,
authorizes the ejectment of trespassers holding land without lawful authority or through illegal transfers. It allows landholders to sue for removal, often requiring them to prove they are entitled to admit the trespasser as a tenant. Similar provisions exist for ST land.
Key Aspects of Section 183:
Definition of Trespasser: Defined as someone who takes or retains possession of land without legal right.
Ejectment Procedure: Landholders entitled to land can initiate legal proceedings to remove trespassers.
Context: Distinguishes between a true trespasser and a holder of land via an illegal transaction.

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.10 17:09:17 IST
Reason: SelfAttested

चुकि उक्त वाद आराजीयात अपीलार्थी मलवा पुत्र सो[illegible] जाटव की खातेदारी भूमि है तथा खातेदारी भूमि पर दिगर व्यक्ति का कब्जा होना अपीलार्थी [illegible]दार) द्वारा प्रस्तुत अपील में अंकित किया गया है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी
मु0नं0 54/24 उनवान मलवा बनाम भगवती

अतः परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार वजीरपुर के मु0नं0 05/23 उनवाल मलवा बनाम भगवती में पारित निर्णय दिनांक 29.08.2024 अस्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार वजीरपुर को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में नायब तहसीलदार वजीरपुर की अध्यक्षता में एक गिरदावर दो पटवारी की टीम गठित कर पुनः मौका रिपोर्ट तलब कर उभय पक्षों को सुनवाई कर नये सिरे से निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 25.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति0जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.10 17:09:17 IST
Reason: SelfAttested